कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, भदोही।

पत्रांक /जि0का0अधि0/चयन विज्ञप्ति/2026—27/दिनांक 29.06 —2026

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 1/1092245/2025/3318/58—1—2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद भदोही के बाल विकास परियोजना अभोली, औराई, ज्ञानपुर, भदोही, सुरियावां, शहर व डीघ में सचांलित आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूर्व स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त रह गये आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पदों को भरे जाने हेतु मानदेय/संविदा पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदिकाओं को निर्धारित समयावधि में https://upanganwadibharti.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आंगनबाडी कार्यकत्री के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:—

क0	परियाजना का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	आंगनबाड़ी कार्यकत्री के कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण			
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
1	अभोली	14	03	00	06	05
2	औराई	19	03	00	04	12
3	ज्ञानपुर	26	08	00	07	11
4	भदोही	20	06	00	06	08
5	सुरियावां	16	03	00	03	10
6	शहर	01	00	00	00	01
7	डीघ	12	03	00	03	06
	योग	**108**	**26**	**00**	**29**	**53**

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु शासनादेश के अनुक्रम में निम्नवत् निर्देश हैं। चयन शासनादेश विभागीय पोर्टल पर अपलोड है जिसके अवलोकनोपरान्त इच्छुक आवेदिकाए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

1—विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।

2—आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष तथा अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर इण्टरमीडिएट से लेकर परास्नातक तक के अंकों को जोड़कर मेरिट का निर्धारण किया जायेगा।

3—आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 01.01.2026 को आधार मानकर की जायेगी, तथा आयु के संबंध में हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म—तिथि ही मान्य होगी।

4—आवेदिका को उसी ग्रामसभा/वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है, जहां के लिये वह आवेदन कर रही है।

5—आंगनबाड़ी कार्यकत्री के चयन में सर्वप्रथम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा/विधिक तलाकशुदा एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अन्य महिला को वरीयता दी जाएगी।

6—गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अभ्यर्थियों के न मिलने पर क्रमानुसार गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली आवेदिका का चयन बिन्दु सं0—5 के अनुसार उसी क्रम में किया जायेगा।

7—आय निवास एवं जाति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी ही मान्य होगा जो डिजिटली हस्ताक्षरित हो, जिसका ऑनलाइन सत्यापन eDistrict UP पोर्टल पर किया जा सके।

8—आय प्रमाण पत्र के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग—9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1—9—11—रा0—9 दिनांक 30.09.2021 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिसका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो।

9—आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट https://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही—सही तथा सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेंगी जिसका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म पर किया गया है। किसी भी दशा में ऑफलाइन कोई भी प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा आवेदिका त्रुटिपूर्ण आवेदन करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगी। त्रुटिपूर्ण व अधूरे आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा।

10—शासनादेश के अनुसार एक ही आंगनवाडी केन्द्र पर एक परिवार की आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका चयन के लिये पात्र नहीं होंगी।

<u>11—ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25.07.2026 होगी।</u>

12—रिक्त पदों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय व जिला कार्यक्रम कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

13—रिक्त पदों का विस्तृत विवरण जिला कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा जिसका विवरण विभागीय वेबसाइट https://upanganwadibharti.in पर भी देखा जा सकता है।

नोटः— रिक्तियों एवं आरक्षण के संबंध में यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो चयन के संबंध में समाधान के उपरान्त ही निर्णय लिया जायेगा तथा इस संबंध में विभाग का ही निर्णय मान्य होगा।

(दिनेश कुमार मिश्र)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
भदोही।

पृ0 पत्र C-772 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
2—जिलाधिकारी महोदय, भदोही को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
3—मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष चयन समिति, जनपद भदोही।
4—समस्त सम्मानित सदस्य, चयन समिति, भदोही।
5—जिला सूचना अधिकारी, भदोही को इस अनुरोध के साथ कि इस विज्ञप्ति को दैनिक पढ़े जाने वाले एक राज्य स्तरीय/एक स्थानीय समाचार पत्र के आगामी अंक में जन सामान्य के सूचनार्थ निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6—समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि रिक्तियों का विवरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।
7—कार्यालय प्रति।

29/06/26
जिला कार्यक्रम अधिकारी
भदोही।

Scanned with OKEN Scanner